

## कार्यालय जिलाधिकारी, बॉदा ।

पत्रांक 170 / स्टांप लिपिक-बॉदा-2013-14 दिनांक:- जुलाई 31, 2013  
विषय:- उत्तर प्रदेश स्टांप (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 की धारा-4  
के अन्तर्गत जनपद बॉदा के वार्षिक मूल्यांकन सूची-2013-14 को लागू  
किये जाने के सम्बन्ध में ।

समस्त उप निबन्धक,  
जनपद बॉदा ।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बॉदा में प्रचलित बाजारी कीमतों का निर्धारण कर मूल्यांकन सूची (सम्पत्ति का मूल्यांकन) प्रसारित कर दी गयी है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 01.08.2013 से मूल्यांकन सूची लागू किये जाने हेतु आदेशित किया गया है ।

अतः मूल्यांकन सूची की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार दिनांक 01.08.2013 से लागू करते हुये पंजीकरण हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में प्रचलित वार्षिक मूल्यांकन सूची वर्ष 2013-14 के अनुसार मालियत पर नियमानुसार स्टांप शुल्क लेना सुनिश्चित करें ।  
संलग्नक:- तहसीलवार मूल्यांकन सूची वर्ष 2013-14

(विजय बहादुर सिंह),  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बॉदा ।

पृष्ठांकन / स्टांप लिपिक - बॉदा-2013-14 तददिनांक:-

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 उ०प्र०शासन लखनऊ ।
  2. महानिरीक्षक, निबन्धन उ०प्र०इलाहाबाद ।
  3. आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा ।
  4. जिलाधिकारी महोदय बॉदा ।
  5. उप महानिरीक्षक निबन्धन चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा ।
  6. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन बॉदा ।
  7. समस्त उप जिलाधिकारी / तहसीलदार जनपद बॉदा / बबेरू / नरैनी / अतर्रा ।
  8. सचिव, बॉदा विकास प्राधिकारी बॉदा ।
  9. महा प्रबन्धक उद्योग केन्द्र बॉदा ।
  10. अधि०अभि०नगर पालिका परिषद बॉदा / अतर्रा ।
  11. अधि०अभि०नगर पंचायत मटौध / तिन्दवारी / नरैनी / विसण्ड / ओरन एवं बबेरू ।
  12. प्रभारी अधिकारी नजूल बॉदा ।
  13. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बॉदा ।

(विजय बहादुर सिंह),  
31.7.2013

जिलाधिकारी महोदय, बाँदा  
की तहसील बबेरु की  
प्रस्तावित मूल्यांकन सूची,  
प्रभावी माह — अगस्त 2013 से

## कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा।

संख्या :

/स्टाम्प लिपिक-2013


दिनांक :


उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अधीन जनपद.....में उप निबन्धक.....के क्षेत्राधिकारी में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संलग्न सूची दिनांक.....के प्रभावी की जाती है। इस सूची के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय :-

1. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्टाम्प प्रभार्यता की गणना की जानी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इसी सूची के किस भाग के किस पृष्ठ के किस क्रमांक व कालम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना स्टाम्प प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।
2. विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहद्दी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।
3. कृषक भूमि के अन्तर्गत विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे व खतौनी या किसान बही की सुसंगत अंश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. विलेख में अंकित सम्पत्ति, जिसका निकास किसी सड़क पर हो, के न्यूनतम मूल्य की गणना उस सड़क पर स्थित सम्पत्ति की सुसंगत दर के अनुसार ही किया जायेगा।
5. जिस गैर कृषक सम्पत्ति के सामने पार्क हो तो उसके न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। जिस गैर कृषक सम्पत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो, ऐसी सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर दी जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों परिस्थितियां विद्यमान हो तो ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी।





उप-निबन्धक  
धौह (बांदा)


  
उपनिबन्धक  
निबन्धन, जिला-बांदा

  
(निबन्धक/उपनिबन्धक)  
उप-निबन्धक (निबन्धन)  
बांदा

6. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है, के साथ उस सम्पत्ति पर पहुंचने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी), तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण का पूर्ण मानचित्र, जिसमें निर्मित क्षेत्र, विलेख के पक्षकारों के नाम, पिता/पति का नाम, मकान नम्बर, गली मोहल्ला व डाक का पूरा पता तथा मानचित्र को ड्राफ्ट करने वाले का नाम पता व मोबाइल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि प्रश्नगत सम्पत्ति को पूर्व कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्व विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. वाणिज्यिक भवनों के किराये की जो दरें इस सूची में निर्धारित की गयी हैं। दरें भूतल पर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं। वाणिज्यिक भवन की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में किराये की उक्त निर्धारित दर के प्रतिशत तथा द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित इकाई हेतु उक्त निर्धारित दर 80 प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम मूल्य की गणना की जायेगी। तृतीय तल या उससे अधि कतल पर स्थिति की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना उक्त सूची में निर्धारित भूतल स्थित किराये की दर के 70 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।
8. सडकों के किनारे स्थिति तथा आबादी के निकट व अकृषक घोषित किये गये गाटा नम्बरानों की सूची इस रेट लिस्ट का भाग है तथा प्रत्येक तहसीलदार के द्वारा समय-समय पर इसी सूची को अद्यावधिक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित उप निबन्धक को उपलब्ध करायी जाये तो इस रेट लिस्ट का भाग होगी।
9. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है उसके सम्बन्ध में विलेख में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है।
10. एक मंजिल से अधिक परन्तु तीन मंजिल से कम मंजिल के भवन के अलग-अलग तल के अन्तरण विलेख में दो मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में अविभाजित भूमि का अंश 50 व 50 प्रतिशत होगा तथा तीन मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में भूमि का अविभाजित अंश 33-3 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार किसी भवन के किसी तल की छत

  
अ-निबन्धक  
बरेल (बाँदा)

  
उपनिबन्धक महाजिरी  
निबन्धन, जिला-बाँदा

  
(विजय बहादुर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बाँदा।

के अन्तरण विलेख में छत के न्यूनतम मूल्य की गणना सम्बन्धित स्थल की अकृषक भूमि की निर्धारित दर के अनुसार निम्न प्रकार की जायेगी :-

- क- भूतल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/2 भाग से
- ख- प्रथम तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/3 भाग से
- ग- द्वितीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/4 भाग से
- घ- तृतीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/5 भाग से

उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक तल के ऊपर की छत के विक्रय पर निर्धारित अकृषक भूमि की दर का एक भाग बढ़ता जायेगा अर्थात् चतुर्थ तल की छत हेतु 1/6, पंचम तल की छत हेतु 1/7 आदि।

11. मिट्टी निकासी हेतु मिट्टी की बिक्री की दर...40...रुपये प्रति घनमीटर निर्धारित की जायेगी।

12. नगरीय क्षेत्र के अधीन अनीन वाले राजस्व ग्राम तथा अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकासशील ग्राम जिनकी सूची नीचे दी गयी है के ऐसी कृषि भूमि जो किसी सड़क पर स्थित है अथवा आबादी से सटी हुये गाटा नम्बर की है, की जो दरें सम्बन्धित सूचियों में निर्धारित की गयी है वे 0-20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के अन्तरण हेतु निर्धारित है। 0-20 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्रफल के अन्तरण से सम्बन्धित विलेख में न्यूनतम मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी।

श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0-05 हेक्टेयर तक	इसी सूची के भाग-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर, से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2	0-05 हे० से अधिक परन्तु 0-10 हे० तक	0-05 हे० तक का उपरोक्त श्रेणी-1 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची के भाग-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर के 50 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग

*Signature*  
उप-निर्वाहक

*Signature*  
न्यायक महानिरीक्षक  
निकासा, पिला-बकि

*Signature*  
(विजय कर्पुर सिंह)  
अपर निताधिकारी (वि०/स०)  
बैरा

3	0-10 हे० से अधिक परन्तु 0-20 हे० तक	0- 10 हेक्टर तक का उपरोक्त श्रेणी-2 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची के भाग-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर के 25 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग
---	-------------------------------------	--


सूची विकासशील राजस्व ग्राम


1. औगासी 2. अलिहा 3. मिलाथू 4. उमरहनी 5. कोरम 6. जामू 7. टोलाकलां
  8. पछौंहा 9. पल्हरी 10. बेराव 11. भदेहदू 12. मुसीवा 13. मर्का खादर 14. लोहरा
  15. साडासानी 16. सिमौनी 17. साथी 18. कोरही 19. पतवन 20. भभुवा 21. कमासिन
  22. मुरवल 23. बबेरु ग्रामीण 24. हरदौली
13. अन्तरित सम्पत्ति में बोरबेल या कुंआ नल आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा बोरबेल का मूल्य 1200000.00 प्रति बोरबेल होगा तथा कुंआ का मूल्य प्रति कुंआ 60000.00 तथा नल का मूल्य प्रति नल 20000.00 होगा।
14. अन्तरित सम्पत्ति में फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने की दशा में प्रति वृक्ष उनकी उम्र के अनुसार उनका मूल्य निम्नवत होगा :-

क्र०सं०	वृक्षों की श्रेणी	10 वर्ष से कम आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष	10 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष
1	सागौन	15000.00	25000.00
2	शीशम	10000.00	18000.00
3	खैर, कटहल, नीम	7500.00	12500.00
4	जमुन	2500.00	6500.00



उप-निर्देशक

  
 सहायक महानिरीक्षक  
 निष्पन्न, जिला-बीदा


  
 (विजय बहादुर सिंह)  
 अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
 बीदा।


5	यूकिलिटिस	5000.00	9000.00
6	आम, महुआ, अशोक	3000.00	6000.00
7	गूलर, सेमर, इमली, पीपल, बरगद व अन्य प्रजाति	2000.00	4000.00

15. प्रस्तुत प्रलेखों के पंजीयन हेतु उक्त निर्धारित मूल्यदर न्यूनतम है वास्तविक बाजारी मूल्य इससे अधिक हो सकता है, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प शुक्ल देय होगा।
16. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की सुसंगत धारा-27 का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रलेख में निम्नवत तथ्य वांछनीय है:-
- (क) अन्तरणीय कृषि भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में तथा आवासीय/व्यवसायिक भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में लिखना अनिवार्य है।
- (ख) रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 21 के अन्तर्गत जहां सम्पत्ति कृषि भूमि हो वहां उसके साथ मानचित्र भी संलग्न हो यह आवश्यक नहीं है कि वह पैमाने पर हो उसमें कृषि भूमि की 200 मीटर त्रिज्यान्तर्गत समस्त सम्पत्तियां पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी जायेगी।
- (ग) नगरीय क्षेत्रों की विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्तरण विलेखों के साथ सम्बन्धित सम्पत्ति की पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ ए 4 कागज पर चस्पा कर विलेख में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) किसी लेखपत्र द्वारा विक्रीत ऐसी कृषि भूमि जो सड़क पर है और आबादी से भी संलग्न है का मूल्यांकन आबादी के समीप कृषि भूमि हेतु निर्धारित दर में 25 प्रतिशत





सप-निर्देशक  
बैदा


  
सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन, बिदा-बैदा

  
(विजय बहादुर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/ए०)  
बैदा।

- बढ़ाकर किया जायेगा बशर्ते प्रश्नगत भूमि का केवल कृषि प्रयोजन की भूमि होना पक्षकारों द्वारा स्थापित कर दिया जाये। अर्थात् य सि करने का दायित्व पक्षकारों का होगा कि ऐसी विक्रीत भूमि आवासी/व्यवसायिक प्रयोजन की (वर्तमान में) नहीं है।
- 15 विक्रीत सम्पत्ति की 50 मीटर त्रिज्या में व्यवसायिक गतिविधियां अथवा बाजार होने पर उसका मूल्यांकन कुल मूल्यांकन पर 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर मूल्यांकन किया जायेगा। व्यवसायिक गतिविधियों से तात्पर्य कम से कम 5 दुकानें अथवा मेला, हाट व बाजार से है।
- 16 एक ही राइक जो भिन्न-भिन्न मोहल्लो से सम्बन्धित हो, की दरों में भिन्नता होने पर अधिकतम दर से मूल्यांकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि एक लेखपत्र द्वारा विक्रीत सम्पत्ति जो दो मौजों/मोहल्लो की सीमाओं में पड़ती हो और आपस में सटी हो तो उसका मूल्यांकन अधिकतम दर से किया जायेगा।
- 17 गैर उल्लिखित मोहल्ला जिसके सम्बन्ध में मूल्य-दर निर्धारित करना छूट गया हो, उल्लिखित नहीं है उनका मूल्यांकन समीपवर्ती मोहल्ले के निर्धारित मूल्य-दर से कम पर अनुमन्य नहीं होगा।

  
उप-निबन्धक  
बवेरु (बौदा)

  
उहायक महानिरीक्षक  
विश्वनाथ, जिला-बौदा

  
(विजय ब्रह्मपुर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बौदा।



भाग-1

प्रारूप-1

रजिस्ट्रीकरण उप जिला बबेरू जिला वाँदा में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में -

ख-अर्धनगरीय क्षेत्र

उप जिला.....के अधीन अर्धनगरीय क्षेत्र (विकास प्राधिकरण.....आवास विकास परिषद या नगर क्षेत्र की दो कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र				
क्र०सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण यदि कोई हो तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या हल्का का नाम	पुयुक्त किये जाने वाले सौफ्टयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	आजाद नगर	वार्ड नं० 8	बबेरू	0008
2	करुइया पुरवा	वार्ड नं० 1	"	0001
3	गांधी नगर	वार्ड नं० 6	"	0006
4	देवी नगर	वार्ड नं० 3	"	0003
5	दूल थोक	वार्ड नं० 12	"	0012
6	प्रभाकरनगर	वार्ड नं० 7	"	0007
7	विभार थोक	वार्ड नं० 4	"	0004
8	मनोरथ थोक बस्ती	वार्ड नं० 5	"	0005
9	मनोरथ थोक	वार्ड नं० 9	"	0009
10	राघव थोक	वार्ड नं० 2	"	0002
11	शास्त्री नगर	वार्ड नं० 10	"	0010
12	श्रंगार थोक	वार्ड नं० 11	"	0011

उप-निबन्धक  
(वाँदा)

विकास प्राधिकरण  
बबेरू, जिला-वाँदा

(विजय महानंद सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
वाँदा

(७)

**भाग-1**  
**प्रारूप-1**

रजिस्ट्रीकरण उप जिला बबेरू, जिला बांदा में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में -

**ग-ग्रामीण क्षेत्र**

उप जिले के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्र				
क्र०सं 0	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण यदि कोई हो तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय	परगना या हल्का का नाम	पुयुक्त किये जाने वाले सौफ्टयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
			बबेरू	1001
1	अनवान		जिला बांदा	1002
2	अमलोखर			1003
3	अरथरा			1004
4	अरवारी बांगर			1005
5	औदहा			1006
6	अनौसा			1007
7	औकाना			1008
8	अरमार			1009
9	अमेठी बांगर			1010
10	अछरील			1011
11	अण्डौली			1012
12	अधांव			1013
13	अहार			1014
14	अंदौरा			1015
15	औगासी बांगर			1016
16	अछाह			1017
17	अमरगंज			1018
18	अमेठी खादर			1019
19	अरवारी खादर			1020
20	आलमपुर			1021
21	अलिहा,			1022
22	औगासी खादर			1023
23	इंगुवा			1024
24	उमरी			1025
25	इटरा बढौनी			1026
26	इटंवा			1026

27	उमरी		1027
28	उमरहनी		1028
29	उडकी माफी		1029
30	केलहतुवा		1030
31	कोनी		1031
32	करिगा		1032
33	कलाना		1033
34	कायल		1034
35	पोहार		1035
36	कुमेंदासानी		1036
37	कुचेन्दू		1037
38	किटहाई		1038
39	कुचौली		1039
40	करहुली माफी		1040
41	कदोहर		1041
42	कोरम		1042
43	कोरारी		1043
44	कोर्रा बुजुर्ग		1044
45	कठार बांगर		1045
46	कठार खादर		1046
47	कोरही		1047
48	कोलौरा		1048
49	कुमेंढा		1049
50	कैरी		1050
51	कमासिन		1051
52	कबीरपुर		1052
53	कोर्रा खुर्द		1053
54	खरोली		1054
55	खमरखा		1055
56	खेरा खादर		1056
57	खेरा बांगर		1057
58	खटान बांगर		1058
59	खटान खादर		1059
60	गुरौली सपहाई		1060
61	गुजैनी		1061
62	गौरा बांगर		1062
63	गौरा खादर		1063
64	गुरौली शुक्ल		1064

*Shu.*


*Shu.*


65	गौरालखनपुर		1065
66	घनसौल		1066
67	घोसण		1067
68	चरका बांगर		1068
69	चरका खादर		1069
70	चकटोला		1070
71	चकरेही		1071
72	छिलोलर		1072
73	जरोहरा		1073
74	जुगरेहुली		1074
75	जामू		1075
76	जाफपरपुर		1076
77	जनवारा		1077
78	जोरावरपुर ख		1078
79	जोरावरपुर बा		1079
80	जलालपुर बांगर		1080
81	जलालपुर खादर		1081
82	टोलाकाजी		1082
83	टोला कला		1083
84	डिघौरा		1084
85	डिडौलीगाफी		1085
86	तेरा दरसेंडा		1086
87	तरायां		1087
88	तिलौसा		1088
89	थरथुवा		1089
90	देवरथा		1090
91	देह		1091
92	दपतरा		1092
93	दांदोबांगर		1093
94	दांदो खादर		1094
95	देवरार		1095
96	दतौरा		1096
97	धुंधुई		1097
98	नरायनपुर		1098
99	नेलाथू		1099
100	पडरी		1100
101	पेस्टा		1101
102	पाराबन्न बेगम		1102


103	पखरौली		1103
104	पतवन		1104
105	पून		1105
106	पन्नाह		1106
107	परास		1107
108	पछौंहा		1108
109	पिण्डारन		1109
110	परसौली		1110
111	पल्हरी		1111
112	पल्हरी सानी		1112
113	पारा बिहारी		1113
114	पाली		1114
115	पवइया		1115
116	फुफुन्दी		1116
117	बघन्डा		1117
118	ब्योजा		1118
119	बम्हरौला		1119
120	बम्हरौलासानी		1120
121	बछौंघा		1121
122	बेरव		1122
123	बेलदान		1123
124	बनबनरौली		1124
125	बरौली आजम		1125
126	बुढौली		1126
127	बगेहटा		1127
128	बाकल खादर		1128
129	विसंडी		1129
130	बन्थरी		1130
131	बीरा बांगर		1131
132	बिनवट		1132
133	बरौली मुस्तखारजा		1133
134	बडागांव		1134
135	बबेरु देहात		1135
136	बाकल बांगर		1136
137	बीरा खादर		1137
138	बछौंघासानी		1138
139	बदौली		1139
140	बनकट		1140

141	बरौली बांगर		1141
142	बरौली खादर		1142
143	बघेला		1143
144	बेलगवां		1144
145	बेनामऊ		1145
146	भदवारी		1146
147	भांटी		1147
148	भीती		1148
149	भदेहदू		1149
150	भदांव		1150
151	भरौली		1151
152	भगुवा		1152
153	मढुवा		1153
154	गंठा		1154
155	मिया बरौली		1155
156	ममसी खुर्द		1156
157	मझिला		1157
158	मवईजुर्नांदर		1158
159	मुरवल		1159
160	ममकहडी		1160
161	मवई खुर्द		1161
162	मिलाथू		1162
163	मरौली		1163
164	मवई		1164
165	मुडवारा बांगर		1165
166	मुसीवा		1166
167	मटेहना बांगर		1167
168	मटेहना खादर		1168
169	मर्का खादर		1169
170	मुडवारा खादर		1170
171	मझीवा		1171
172	मझीवां सानी		1172
173	रसूलपुर		1173
174	राछा		1174
175	रगौली		1175
176	रयान		1176
177	राघवपुर बांगर		1177
178	रेवल		1178

179	रमपुरवा		1179
180	राधौपुर खादर		1180
181	रानीपुर		1181
182	लौलीटीकामऊ		1182
183	लाखीपुर		1183
184	लोहरा		1184
185	लौधौरा खुर्द		1185
186	लखनपुर बांगर		1186
187	लखनपुर खादर		1187
188	समगरा बांगर		1188
189	सोनहुली		1189
190	सांतर		1190
191	शाहपुर		1191
192	सया		1192
193	सांडासानी		1193
194	सतन्यांव		1194
195	शिव		1195
196	सिकरी लखनपुर		1196
197	स्योहट		1197
198	सांडा		1198
199	सिमौनी		1199
200	समसुद्दीनपुर		1200
201	सेमराघाट		1201
202	साथी		1202
203	सोनहुला		1203
204	समगरा खादर		1204
205	हरदौली		1205

  
उप-निबन्धक  
बवेरू (बाँदा)

  
उप-निबन्धक  
निबन्धन, जिला-बाँदा


  
(विजय बरगुड सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बाँदा।


## भाग-2


### प्रारूप-2

उपजिला बबेरु जिला बांदा के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णानुक्रम में अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वेल्यू)

सॉफ्टयर में आवंटित किया गया वी-कोड	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड या हल्का का नाम	नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र	अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5
1001	अनवान	बबेरु	ग्रामीण	600
0008	आजाद नगर	"	अर्धनगरीय	4500
1002	अमलोखर	"	ग्रामीण	600
1003	अरथरा	"	ग्रामीण	600
1004	अरवारी बांगर	"	ग्रामीण	600
1005	औदहा	"	ग्रामीण	600
1006	अनौरा	"	ग्रामीण	600
1007	औकाना	"	ग्रामीण	600
1008	अरमार	"	ग्रामीण	600
1009	अमेठी बांगर	"	ग्रामीण	600
1010	अछरील	"	ग्रामीण	600
1011	अण्डौली	"	ग्रामीण	600
1012	अधांव	"	ग्रामीण	600
1013	अहार	"	ग्रामीण	600
1014	अंदौरा	"	ग्रामीण	600
1015	औगासी बांगर	"	ग्रामीण	1200
1016	अछाह	"	ग्रामीण	600
1017	अमरगंज	"	ग्रामीण	600
1018	अमेठी खादर	"	ग्रामीण	600
1019	अरवारी खादर	"	ग्रामीण	600
1020	आलमपुर	"	ग्रामीण	600
1021	अलिहा,	"	ग्रामीण	1200
1022	औगासी खादर	"	ग्रामीण	600
1023	इंगुवा	"	ग्रामीण	600
1024	उमरी	"	ग्रामीण	600

  
उप-निबन्धक

  
उप-निबन्धक

  
(विजय बहादुर सिंह)  
उप-निबन्धक



1025	इटर्वा बढोनी	"	ग्रामीण	600
1026	इटवा	"	ग्रामीण	600
1027	उमरी	"	ग्रामीण	600
1028	उमरहनी	"	ग्रामीण	1200
1029	उडकी माफी	"	ग्रामीण	600
0001	करुइयापुरवा	"	अर्धनगरीय	4500
1030	केलहतुवा	"	ग्रामीण	600
1031	कोनी	"	ग्रामीण	600
1032	करिंगा	"	ग्रामीण	600
1033	कलाना	"	ग्रामीण	600
1034	काथल	"	ग्रामीण	600
1035	पोहार	"	ग्रामीण	600
1036	कुमेंदासानी	"	ग्रामीण	600
1037	कुचेंदू	"	ग्रामीण	600
1038	किटहाई	"	ग्रामीण	600
1039	कुचौली	"	ग्रामीण	600
1040	करहुली माफी	"	ग्रामीण	600
1041	कदोहर	"	ग्रामीण	600
1042	कोरम	"	ग्रामीण	1200
1043	कोरारी	"	ग्रामीण	600
1044	कोरा बुजुर्ग	"	ग्रामीण	600
1045	कठार बांगर	"	ग्रामीण	600
1046	कठार खादर	"	ग्रामीण	600
1047	कोरही	"	ग्रामीण	1200
1048	कोलौरा	"	ग्रामीण	600
1049	कुमेंडा	"	ग्रामीण	600
1050	कैरी	"	ग्रामीण	600
1051	कमासिन	"	ग्रामीण	4700
1052	कवीरपुर	"	ग्रामीण	600
1053	कोरा खुर्द	"	ग्रामीण	600
1054	खरौली	"	ग्रामीण	600
1055	खमरखा	"	ग्रामीण	600
1056	खेरा खादर	"	ग्रामीण	600



उप-निबन्धक



  
 (विषय सम्बन्धित)  
 (दिनांक)

1057	खेरा बांगर	"	ग्रामीण	600
1058	खटान बांगर	"	ग्रामीण	600
1059	खटान खादर	"	ग्रामीण	600
0006	गांधी नगर	"	अर्धनगरीय	3300
1060	गुरौली सपहाई	"	ग्रामीण	600
1061	गुजैनी	"	ग्रामीण	600
1062	गौरा बांगर	"	ग्रामीण	600
1063	गौरा खादर	"	ग्रामीण	600
1064	गुरौली शुक्ल	"	ग्रामीण	600
1065	गौरालखनपुर	"	ग्रामीण	600
1066	घनसौल	"	ग्रामीण	600
1067	घोरण	"	ग्रामीण	600
1068	चरका बांगर	"	ग्रामीण	600
1069	चरका खादर	"	ग्रामीण	600
1070	चकटोला	"	ग्रामीण	600
1071	चकरेही	"	ग्रामीण	600
1072	छिलोलर	"	ग्रामीण	600
1073	जरोहरा	"	ग्रामीण	600
1074	जुगरेहुली	"	ग्रामीण	600
1075	जामू	"	ग्रामीण	1200
1076	जाफपरपुर	"	ग्रामीण	600
1077	जनवारा	"	ग्रामीण	600
1078	जोशवरपुर ख	"	ग्रामीण	600
1079	जोरावरपुर बा	"	ग्रामीण	600
1080	जलालपुर बांगर	"	ग्रामीण	600
1081	जलालपुर खादर	"	ग्रामीण	600
1082	टोलाकाजी	"	ग्रामीण	600
1083	टोला कला	"	ग्रामीण	1200
1084	डिघौरा	"	ग्रामीण	600
1085	डिडौलीमाफी	"	ग्रामीण	600
1086	तेरा दरसैंडा	"	ग्रामीण	600
1087	तरायां	"	ग्रामीण	600
1088	तिलौसा	"	ग्रामीण	600

*[Signature]*

सब-निबन्धक

*[Signature]*

(विजय बहादुर सिंह)

ग्रामीण विकास विभाग (वि-1/80)

1089	शरथुवा	"	ग्रामीण	600
0006	देवीनगर	"	अर्धनगरीय	9000
0012	टूल थोक	"	अर्धनगरीय	9000
1090	देवरथा	"	ग्रामीण	600
1091	देह	"	ग्रामीण	600
1092	दपतरा	"	ग्रामीण	600
1093	दांदोबांगर	"	ग्रामीण	600
1094	दांदो खादर	"	ग्रामीण	600
1095	देवरार	"	ग्रामीण	600
1096	दतौरा	"	ग्रामीण	600
1097	धुंधुई	"	ग्रामीण	600
1098	नरायनपुर	"	ग्रामीण	600
1099	गेलाथू	"	ग्रामीण	600
0007	प्रभाकर नगर	"	अर्धनगरीय	9000
1100	पडरी	"	ग्रामीण	600
1101	पेस्ता	"	ग्रामीण	600
1102	पारावन्नू बेगम	"	ग्रामीण	600
1103	पखरौली	"	ग्रामीण	600
1104	पतवन	"	ग्रामीण	1200
1105	पून	"	ग्रामीण	600
1106	पन्नाह	"	ग्रामीण	600
1107	परास	"	ग्रामीण	600
1108	पछौंहा	"	ग्रामीण	1200
1109	पिण्डारन	"	ग्रामीण	600
1110	परसौली	"	ग्रामीण	600
1111	पल्हरी	"	ग्रामीण	1200
1112	पल्हरी सानी	"	ग्रामीण	600
1113	पारा बिहारी	"	ग्रामीण	600
1114	पाली	"	ग्रामीण	600
1115	पवइया	"	ग्रामीण	600
1116	फुफुन्दी	"	ग्रामीण	600
0004	विभार थोक	"	अर्धनगरीय	4500
1117	बघन्डा	"	ग्रामीण	600

उप-निबन्धक

मन्त्री

(विभव बख्तर सिंह)

1118	ब्योजा	"	ग्रामीण	600
1119	बम्हरोला	"	ग्रामीण	600
1120	बम्हरोलासानी	"	ग्रामीण	600
1121	बछौंधा	"	ग्रामीण	600
1122	बेराव	"	ग्रामीण	1200
1123	बेलदान	"	ग्रामीण	600
1124	बनबनरोली	"	ग्रामीण	600
1125	बरौली आजम	"	ग्रामीण	600
1126	बुढौली	"	ग्रामीण	600
1127	बगोहटा	"	ग्रामीण	600
1128	बाकल खादर	"	ग्रामीण	600
1129	विसंडी	"	ग्रामीण	600
1130	बन्धरी	"	ग्रामीण	600
1131	वीरा बांगर	"	ग्रामीण	600
1132	बिनवट	"	ग्रामीण	600
1133	बरौली मुस्तखारजा	"	ग्रामीण	600
1134	बडागांव	"	ग्रामीण	600
1135	बवेरु देहात	"	ग्रामीण	8000
1136	बाकल बांगर	"	ग्रामीण	600
1137	वीरा खादर	"	ग्रामीण	600
1138	बछौंधासानी	"	ग्रामीण	600
1139	बदौली	"	ग्रामीण	600
1140	बनकट	"	ग्रामीण	600
1141	बरौली बांगर	"	ग्रामीण	600
1142	बरौली खादर	"	ग्रामीण	600
1143	बघेला	"	ग्रामीण	600
1144	बेलगवां	"	ग्रामीण	600
1145	बेनामऊ	"	ग्रामीण	600
1146	भदवारी	"	ग्रामीण	600
1147	भांटी	"	ग्रामीण	600
1148	भीती	"	ग्रामीण	600
1149	भदेहदू	"	ग्रामीण	1200
1150	भदांव	"	ग्रामीण	600

नव-निबन्धक

मन्त्री

(विपद बहाल विप)

1151	भरौली	"	ग्रामीण	600
1152	भभुवा	"	ग्रामीण	1200
0005	मनोरथ थोक (बस्ती में)	"	अर्धनगरीय	9000
0009	मनोरथ थोक	"	अर्धनगरीय	7000
1153	मढुवा	"	ग्रामीण	600
1154	मंठा	"	ग्रामीण	600
1155	मिया भरौली	"	ग्रामीण	600
1156	ममसी खुर्द	"	ग्रामीण	600
1157	मझिला	"	ग्रामीण	600
1158	मवई जुर्नार्दर	"	ग्रामीण	600
1159	मुरवल	"	ग्रामीण	4700
1160	गमकहडी	"	ग्रामीण	600
1161	मवई खुर्द	"	ग्रामीण	600
1162	मिलाथू	"	ग्रामीण	1200
1163	भरौली	"	ग्रामीण	600
1164	मवई	"	ग्रामीण	600
1165	मुडवारा बांगर	"	ग्रामीण	600
1166	मुसीवा	"	ग्रामीण	1200
1167	मटेहना बांगर	"	ग्रामीण	600
1168	मटेहना खादर	"	ग्रामीण	600
1169	गर्का खादर	"	ग्रामीण	1200
1170	मुडवारा खादर	"	ग्रामीण	600
1171	मझीवा	"	ग्रामीण	600
1172	मझीवा सानी	"	ग्रामीण	600
0002	राघव थोक	"	अर्धनगरीय	4500
1173	रसूलपुर	"	ग्रामीण	600
1174	राछा	"	ग्रामीण	600
1175	रगौली	"	ग्रामीण	600
1176	रयान	"	ग्रामीण	600
1177	राघवपुर बांगर	"	ग्रामीण	600
1178	रेवल	"	ग्रामीण	600
1179	रमपुरवा	"	ग्रामीण	600
1180	राधौपुर खादर	"	ग्रामीण	600

उप-निबन्धक

मन्त्री

(विजय नगर सिंह)

1181	रानीपुर	"	ग्रामीण	600
1182	लौलीटीकामऊ	"	ग्रामीण	600
1183	लाखीपुर	"	ग्रामीण	600
1184	लोहरा	"	ग्रामीण	1200
1185	लौधौरा खुर्द	"	ग्रामीण	600
1186	लखनपुर बांगर	"	ग्रामीण	600
1187	लखनपुर खादर	"	ग्रामीण	600
0010	शास्त्री नगर	"	अर्धनगरीय	3300
0011	श्रंगार थोक	"	अर्धनगरीय	4500
1188	समगरा बांगर	"	ग्रामीण	600
1189	सोनहुली	"	ग्रामीण	600
1190	सांतर	"	ग्रामीण	600
1191	शाहपुर	"	ग्रामीण	600
1192	सथा	"	ग्रामीण	600
1193	सांडासानी	"	ग्रामीण	1200
1194	रातन्यांव	"	ग्रामीण	600
1195	शिव	"	ग्रामीण	600
1196	सिकरी लखनपुर	"	ग्रामीण	600
1197	स्योहट	"	ग्रामीण	600
1198	सांडा	"	ग्रामीण	600
1199	सिमौनी	"	ग्रामीण	1200
1200	समसुद्दीनपुर	"	ग्रामीण	600
1201	सेमराघाट	"	ग्रामीण	600
1202	साथी	"	ग्रामीण	1200
1203	सोनहुला	"	ग्रामीण	600
1204	समगरा खादर	"	ग्रामीण	600
1205	हरदौली	"	ग्रामीण	4700

उप-निबन्धक  
बबेरू (बाँदा)


महानिरीक्षक  
मिशनर, बिधा-बिधा


(विजय बहादुर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि/रा०)  
बाँदा।


### प्रारूप-3

नगरीय एवं अर्धनगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मौहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की रिये की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग मीटर

क-उप जिला..... जिला.....के अधीन नगरीय क्षेत्र.....पर मुख्य मार्गों पर अकृषक भूमि तथा वाणिज्य सम्पत्ति की न्यूनतम दर प्रति वर्गमीटर						
क्रम संख्या एवं रोड सेगमेंट का नाम कहा से कहा तक	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	अकृषक भूमि की दर	वाणिज्य सम्पत्ति की किराये की दर		
				दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1 मुख्य चौराहे से बांदा रोड पर बबेरु राजस्व ग्राम सीमा तक	मनोरथ थोक	0009	16000	200	180	150
2 मुख्य चौराहे से कमासिन रोड पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तक	देवी नगर	0003	16000	200	180	150
3 मुख्य चौराहे से अतर्रा रोड पर लवकुश महाविद्यालय हनुमान मन्दिर तक	मनोरथ थोक वार्ड 5	0009	16000	200	180	150
4 मुख्य चौराहे से औगासी रोड पर औगासी सम्पर्क मार्ग तक	मनोरथ थोक वार्ड 5	0009	16000	200	180	150
5 मुख्य चौराहे से मर्का रोड पर बालिका महाविद्यालय तक	करुइहा पुरवा	0001	16000	200	180	150

  
उप-निबन्धक

  
.....


  
(विजय बहादुर सिंह)


6 मुख्य चौराहे से ओरन रोड पर लवकुश महाविद्यालय के मोड़ तक	देवी नगर वार्ड नं० 3	0003	16000	200	180	150
7 बांदा रोड से हरदौली रोड नहर पटरी के दोनों तरफ एवं हरदौली रोड पर नहर पटरी के दोनों तरफ डाक बंगला के आगे पंचायत भवन को जोड़ने वाली रोड, बांदा रोड नहर पटरी के दोनों तरफ झाल तक डाक बंगला के आगे पंचायत भवन को जोड़ने वाली रोड के बाद प्राथमिक विद्यालय जुनिहा पुरवा तक नहर के दोनों तरफ	मनोरथ थोक वार्ड नं० 9	0009	11000	200	180	150
8 औगासी रोड से तहसील वाली रोड नई तहसील कैम्पस तक तथा नई तहसील कम्पस से औगासी रोड मिलान तक	मनोरथ थोक वार्ड नं० 9	0009	13000	200	180	150
9 नहर पटरी जमुनिहा पुरवा पाठशाला से औगासी रोड मिलान तक	ग्रामीण	निल	16000	200	180	150




10 तहसील कैम्पाउण्ड के पीछे पंचायत भवन से नहर सीमा तक	ग्रामीण	निल	9000	200	180	150
1 कमासिन बस स्टैण्ड से राजापुर रोड पर निरंकारी भवन तक	कमासिन	1051	6000	200	180	150
2 कमासिन बस स्टैण्ड से दांदौ रोड पर दांदौ घाट तिराहे तक	कमासिन	1051	6000	200	180	150
3 दांदौ घाट तिराहे से डॉ० नन्दलाल शुक्ल के डिग्री कालेज तक	कमासिन	1051	6000	200	180	150
4 कमासिन बस स्टैण्ड से बबेरू की तरफ पेट्रोल पम्प तक	कमासिन	1051	6000	200	180	150
5 कमासिन बस स्टैण्ड से ओरन रोड पर 01 कि०मी० सीमा चिन्ह तक	कमासिन	1051	6000	200	180	150
1 मुरवल	मुरवल	1159	6000	160	150	130
2 हरदौली काफे	हरदौली	1205	7000	200	180	150

बबेरू की तरफ बबेरू भवन  
5311 सीटी 11/15

  
उप-निबन्धक  
बबेरू (बाँदा)


  
ज्योति प्रसाद  
मिन्सट्रान, जिला-बाँदा


  
(विजय कस्तुर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/ए०)  
बाँदा।

प्रारूप-4

प्रारूप में प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से गिन्न अन्य सभी प्रकार की कृषक तथा कृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की न्यूनतम दरें प्रति वर्गमीटर समस्त उप जिले के न्यूनतम सम्पूर्ण नगरीय अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में की इशित की जायेगी-

प्रारूप-1 में गाबंठित भूमि का नाम या गया कोड	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	श्रेणी नगरीय अर्धनगरीय या ग्रामीण	अकृषक भूमि की न्यूनतम दर		वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की दर	राजस्व भागों में कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टर		
			3 मीटर या उसे अधिक 4 मीटर तक चौड़े रास्ते पर	4 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर		सड़क पर स्थित भूमि	आबादी से सटी हुयी भूमि	सामान्य भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1001	अनवान		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
0008	आजाद नगर		4500 रु०	5000 रु०	200 रु०			
1002	अमलोखर		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1003	अरथरा		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1004	अरवारी बांगर		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1005	औदहा		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1006	अनौसा		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1007	औकाना		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1008	अरमार		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30

  
 (निम्न समुदाय के लिए)  
 उपर लिखित दरें (नि/रु/वर्ग मी.)

  
 उप-निष्पन्नक  
 बनेरु (लॉडर)

  
 उप-निष्पन्नक  
 बनेरु (लॉडर)


009	अमेठी बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
010	अछरील	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
011	अण्डौली	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
012	अधांव	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
013	अहार	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
014	अंदौरा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
015	औगासी बांगर	1400 रु०	800 रु०	80 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32 लाख	8.50 लाख / 8 लाख
016	अछाह	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
017	अमरगंज	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
018	अमेठी खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
019	अरवारी खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
020	आलमपुर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
021	अलिहा.	1400 रु०	1800 रु०	80 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1022	औगासी खादर	1400 रु०	1800 रु०	80 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1023	इंगुवा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1024	उमरी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1025	इटर्ग बढौनी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1026	इटंवा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1027	उमरी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1028	उमरहनी	1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13050 लाख / 12	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1029	उडकी माफी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
0001	करुइयापुरवा	4500 रु०	5000 रु०	200 रु०			
1030	केलहतुवा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1031	कोनी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30

(विषय अनुसार सिद्ध)  
अपर जिलाधिकारी, (वि/रा/स)  
अं.स.

म.स.स.स.  
म.स.स.स.  
म.स.स.स.

उप-निबन्धक  
के. (बाँदा)

032	करिगा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
033	कलाना	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
034	कायल	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
035	पोहार	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
036	कुमेंदासानी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
037	कुयेंचू	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
038	किटहाई	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
039	कुचौली	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
040	करहुली माफी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1041	कदोहर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1042	कोरम	1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1043	कोरारी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1044	कोर्रा बुजुर्ग	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1045	कठार बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1046	कठार खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1047	कोरही	1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1048	कोलौरा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1049	कुमेंढा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1050	कैरी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1051	कमासिन	4700 रु०	6000 रु०	170 रु०	9.50 लाख / 9 लाख	42 लाख / 35 लाख	8.50 लाख / 8 लाख
1052	कबीरपुर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1053	कोर्रा खुर्द	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1054	खरौली	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1055	खमरखा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30

  
 (विषय अनुसार मिति)  
 गणतन्त्र नेपाल (२०७२/७३)

  
 नेपाल प्रजासत्तान्त्रिक  
 सरकार, विद्या-बाँके

उप-निबन्धक  
 नवेरु (बाँके)

1056	खेरा खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1057	खेरा बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1058	खटान बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1059	खटान खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
0006	गांधी नगर	3500 रु०	5000 रु०	200 रु०			
1060	गुरौली सपहाई	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1061	गुजैनी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1062	गौरा बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1063	गौरा खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1064	गुरौली शुक्ल	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1065	गौरालाखनपुर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1066	घनसौल	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1067	घोसण	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1068	चरका बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1069	चरका खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1070	चकटोला	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1071	चकरेही	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1072	छिलोलर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1073	जरोहरा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1074	जुगरेडुली	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1075	जामू	1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1076	जाफपरपुर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1077	जनवारा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1078	जोरावरपुर ख	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30



उप-निबन्धक  
बरेल (बाँटा)

बरेल जिलाधिकारी  
बरेल-बाँटा

(विषय बराबर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि/रा०)

(28)

1079	जोरावरपुर बा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1080	जलालपुर बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1081	जलालपुर खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1082	टोलाकाजी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1083	टोला कला	1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख/12 लाख	40 लाख/32	8.50 लाख/8 लाख
1084	डिघौरा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1085	डिडौलीमाफी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1086	तेरा दरसेंडा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1087	तरायां	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1088	तिलौसा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1089	शरथुवा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
0006	देवीनगर	9000 रु०	16000 रु०	200 रु०			
0012	टूल थोक	9000 रु०	16000 रु०	200 रु०			
1090	देवरथा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1091	देह	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1092	दफतरा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1093	दांदोबांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1094	दांदो खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1095	देवशर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1096	दतौरा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1097	धुंधुई	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1098	नरायनपुर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
1099	नेलाथू	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख/7.50	25 लाख/23 लाख	5.50 लाख/5.30
0007	प्रभाकर नगर	9000 रु०	16000 रु०	200 रु०			

(अपर सप्लायर)  
अपर सप्लायर (पि०/सि०)  
अंतर.

महापंचक  
महापंचक

उप-निबन्धक  
नडेक (बौदा)

(२१)

1100	पडरी		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1101	पेस्टा		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1102	पाराबन्नु वेगम		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1103	पखरौली		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1104	पतवन		1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1105	पून		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1106	पन्नाह		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1107	परास		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1108	पछौहा		1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1109	पिण्डारन		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1110	परसौली		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1111	पल्हरी		1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1112	पल्हरी सानी		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1113	पारा बिहारी		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1114	पाली		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1115	पवइया		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1116	फुफुन्दी		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
0004	विभार थोक		5000 रु०	6500 रु०	200 रु०			
1117	बघन्डा		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1118	ब्योजा		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1119	बम्हरोला		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1120	बम्हरोलासानी		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1121	बछौधा		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1122	बेरौव		1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख

(विजय सहसुर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/ग०)

महाराष्ट्र  
बिनामक महाविद्यालय

उप-निबन्धक  
बनेरु (बौदा)

(52)

69	मर्का खादर	1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
70	मुडवारा खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
171	मझीवा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
172	मझीवां सानी	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
002	राघव थोक	5000 रु०	7000 रु०	200 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
173	रसूलपुर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
174	राछा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
175	रगौली	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
176	रयान	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
177	राघवपुर बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1178	रेवल	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
11179	रमपुरवा	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
11180	राधौपुर खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
11181	रानीपुर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
11182	लौलीटीकामऊ	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
11183	लाखीपुर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
11184	लोहरा	1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
11185	लौधौरा खुर्द	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
11186	लखनपुर बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
11187	लखनपुर खादर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
0010	शास्त्री नगर	3500 रु०	5000 रु०	200 रु०			
0011	श्रंगार थोक	4500 रु०	6500 रु०	200 रु०			
1188	समगरा बांगर	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1189	सोनहुली	700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30

उप-निबन्धक  
नवेरु (बाँदा)


उप-निबन्धक  
नवेरु (बाँदा)


(विजय महापुर सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (वि/रा०)




(23)

1190	सातर		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1191	शाहपुर		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1192	सया		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1193	सांडासानी		1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1194	सतन्यांव		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1195	शिव		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1196	सिकरी लखनपुर		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1197	स्योहट		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1198	सांडा		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1199	सिमौनी		1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1200	समसुददीनपुर		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1201	सेमराघाट		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1202	साथी		1400 रु०	1800 रु०	150 रु०	13.50 लाख / 12 लाख	40 लाख / 32	8.50 लाख / 8 लाख
1203	सोनहुला		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1204	समगरा खादर		700 रु०	800 रु०	80 रु०	8 लाख / 7.50	25 लाख / 23 लाख	5.50 लाख / 5.30
1205	हरदौली		6200 रु०	8200 रु०	170 रु०	9.50 लाख / 9 लाख	42 लाख / 35 लाख	8.50 लाख / 8 लाख

  
**उप-निबन्धक**  
**बनेरू (बौदा)**

  
 उप-निबन्धक (वि.सं.प.)  
 बनेरू, वि.सं.प.)

  
 (वि.सं.प. बनेरू वि.सं.प.)  
 उप-निबन्धक (वि.सं.प.)  
 बनेरू।

(34)

**भाग-3**

**प्रारूप-5**

क- गैर वाणिज्यिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें:-

क्र० सं०	निर्माण की श्रेणी छत के आधार पर	निर्माण की अधिर्षता आयु	प्रथम श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5
1	आर०सी०सी०	80 वर्ष	8000	7000
2	आर०बी०सी०	60 वर्ष	7000	6500
3	कडी, गर्डर पटिया, डाट	50 वर्ष	6000	5000
4	टिनशेड, एस्बेसटस शेड, फाइबर शेड	40 वर्ष	4500	4000
5	कच्चा, छप्पर, खपरैल	30 वर्ष	4000	3500

उप-निबन्धक  
बबेरू (बाँदा)

उप-निबन्धक  
बबेरू (बाँदा)

(विजय कानपुर सिंह)  
अपर निताधिकारी (वि०/रा०)  
बाँदा।